

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक: 13.10.2017 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 13.10.2017, दिन शुक्रवार को मध्याह्न 12:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की सामान्य बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :-

1.	प्रो० जे०वी० वैशंम्यायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो० आर०सी० कटियार, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो० संजय श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो० सुभाष अग्रवाल, आचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	डॉ० शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर।	सदस्य
6.	डॉ० संजय स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ० एस०पी० शाक्य, प्राचार्य, आर०एम०पी० कालेज, सीतापुर।	सदस्य
8.	डॉ० सुधांशु पाण्ड्या, उपचार्य, आई०बी०एम०, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ० बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	डॉ० सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	श्री रणजीत यादव, उपकुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	श्री उमानाथ, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने नवागन्तुक सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :-

1. परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 16.08.2017 के कार्यवृत्त के सम्बूष्टि पर विचार :-

परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 16.08.2017 के कार्यवृत्त को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सम्बूष्टि किया।

2. सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत की मुख्य तथा सेमेस्टर/मेडिकल पाठ्यक्रम के छात्रों की मुख्य/सप्ली परीक्षाएं कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार :-

परीक्षा समिति सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत की मुख्य तथा सेमेस्टर/मेडिकल पाठ्यक्रम के छात्रों की मुख्य/सप्ली परीक्षाएं कराये जाने से संसूचित हुई।

3. सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत की मुख्य तथा सेमेस्टर/मेडिकल पाठ्यक्रम के छात्रों की मुख्य/सप्ली परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार :-

परीक्षा समिति सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत की मुख्य परीक्षाओं के समस्त परीक्षाफल माह जून, 2017 तक तथा सेमेस्टर/मेडिकल पाठ्यक्रम के छात्रों की मुख्य/सप्ली परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने से संसूचित हुई।

4. सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत की बैकपेपर परीक्षा दिनांक 07.10.2017 को सम्पन्न कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार :-

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की बैकपेपर परीक्षाएं दिनांक 07.10.2017 को 02 पालियों में सम्पन्न करायी गई तथा उक्त परीक्षाओं हेतु राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया।

उक्त परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

5. दिनांक 08.09.2017 की विषय संयोजकों की बैठक में 58 प्रश्नपत्रों की परीक्षा ओ०एम०आर० पद्धति पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों के आधार पर कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार :-

सत्र 2017–18 में स्नातक स्तर के तीनों वर्षों में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ-Pattern) प्रश्नपत्रों के पैटर्न में परिवर्तन हेतु माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में अध्ययन परिषद के संयोजकों की बैठक दिनांक 08.09.2017 को आहूत की गई, जिसमें निम्नांकित तालिका में वर्णित स्नातक स्तर के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विषयों के उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्रों की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ-Pattern) कराये जाने का निर्णय लिया गया—

A- कला संकाय :-

क्र.सं.	बी0ए0 प्रथम वर्ष	प्रस्तावित प्रश्नपत्र	बी0ए0 द्वितीय वर्ष	प्रस्तावित प्रश्नपत्र	बी0ए0 तृतीय वर्ष	प्रस्तावित प्रश्नपत्र
1.	अर्थशास्त्र	प्रथम	अर्थशास्त्र	द्वितीय	अर्थशास्त्र	प्रथम
2.	शिक्षाशास्त्र	प्रथम	शिक्षाशास्त्र	द्वितीय	शिक्षाशास्त्र	प्रथम
3.	अंग्रेजी साहित्य	प्रथम	अंग्रेजी साहित्य	प्रथम	अंग्रेजी साहित्य	तृतीय
4.	भूगोल	प्रथम	भूगोल	द्वितीय	भूगोल	प्रथम
5.	हिन्दी साहित्य	द्वितीय	हिन्दी साहित्य	प्रथम	हिन्दी साहित्य	द्वितीय
6.	इतिहास	प्रथम	इतिहास	द्वितीय	इतिहास	द्वितीय
7.	गृह विज्ञान	द्वितीय	गृह विज्ञान	द्वितीय	गृह विज्ञान	द्वितीय
8.	राजनीति विज्ञान	प्रथम	राजनीति विज्ञान	द्वितीय	राजनीति विज्ञान	तृतीय
9.	संस्कृत	प्रथम	संस्कृत	प्रथम	संस्कृत	द्वितीय
10.	समाजशास्त्र	प्रथम	समाजशास्त्र	द्वितीय	समाजशास्त्र	तृतीय
11.	उर्दू	द्वितीय	उर्दू	द्वितीय	उर्दू	द्वितीय

B- वाणिज्य संकाय :-

क्र.सं.	बी0कॉम0 प्रथम वर्ष	प्रस्तावित प्रश्नपत्र	बी0कॉम0 द्वितीय वर्ष	प्रस्तावित प्रश्नपत्र	बी0कॉम0 तृतीय वर्ष	प्रस्तावित प्रश्नपत्र
1.	बिजिनेस रेगुलरटी फ्रेमवर्क	चतुर्थ	प्रिंसिपल्स ऑफ बिजिनेस मैनेजमेन्ट	तृतीय	कारपोरेट एकाउटिंग	प्रथम
2.	बिजिनेस एन्वायरमेन्ट	षष्ठम्	पब्लिक फाइनेन्स	षष्ठम्	आडिटिंग	द्वितीय

C- विज्ञान संकाय :-

क्र.सं.	बी0एससी0 प्रथम वर्ष	प्रस्तावित प्रश्नपत्र	बी0एससी0 द्वितीय वर्ष	प्रस्तावित प्रश्नपत्र	बी0एससी0 तृतीय वर्ष	प्रस्तावित प्रश्नपत्र
1.	वनस्पति विज्ञान	तृतीय	वनस्पति विज्ञान	तृतीय	वनस्पति विज्ञान	तृतीय
2.	रसायन विज्ञान	द्वितीय एवं तृतीय	रसायन विज्ञान	तृतीय	रसायन विज्ञान	प्रथम
3.	गणित	प्रथम एवं तृतीय	गणित	प्रथम	गणित	प्रथम एवं तृतीय
4.	भौतिक विज्ञान	प्रथम एवं द्वितीय	भौतिक विज्ञान	द्वितीय	भौतिक विज्ञान	द्वितीय
5.	जन्तु विज्ञान	तृतीय	जन्तु विज्ञान	द्वितीय	जन्तु विज्ञान	द्वितीय

उक्त प्रश्नपत्रों को ओ.एम.आर. पद्धति पर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ-Pattern) परीक्षा कराये जाने के निर्णय को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। साथ ही परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगमी ओ.एम.आर. पद्धति पर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ-Pattern) परीक्षा कराये जाने हेतु विषय संयोजक की बैठक के उपरान्त ही पत्र निर्गत कर महाविद्यालयों को सूचना प्रदान कर दी जाय।

कार्यवाही-उपकुलसचिव (परीक्षा / अतिगोपनीय) / सिस्टम मैनेजर

6. चुनौती मूल्यांकन-2016 की व्यवस्था में बिन्दु-06 में चुनौती मूल्यांकन में परीक्षकों द्वारा 25% से अधिक अंक प्राप्त होने पर तृतीय परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकित कराये जाने पर विचार :-

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि चुनौती मूल्यांकन-2016 की व्यवस्था में बिन्दु-06 में पूर्णांक 100 अंकों में 25% अंकों से अधिक वृद्धि पर तृतीय परीक्षक को मूल्यांकन हेतु अग्रसारित किया जाता है। तीनों अंकों के योग के आधार पर औसत अंक दिए जाते हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया कि कुछ पाठ्यक्रमों में परीक्षकों की उपलब्धता न होने के कारण गम्भीर कठिनाई होती है तथा लम्बे समय तक चुनौती मूल्यांकन के अंक घोषित नहीं हो पाते हैं, जिससे छात्रों की कठिनाई होती है। प्रभारी, कोडिंग विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि जो प्रकरण तृतीय परीक्षक में जाते हैं, उनके अंकों में स्वतः वृद्धि होती है, ऐसी स्थिति में दो परीक्षकों के योग के आधार पर औसत अंक प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त चुनौती मूल्यांकन में पूर्णांक में 25% अंकों से अधिक की वृद्धि पर मूल्यांकन हेतु तृतीय परीक्षक को न अग्रसारित करते हुए दो परीक्षकों के योग के आधार पर औसत अंक प्रदान किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया।

कार्यवाही-उपकुलसचिव (वार्षिक/सेमेस्टर/मेडिकल अतिगोपनीय/परीक्षा/चुनौती मूल्यांकन)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कूट प्रकोष्ठ

7. कु0 नमिता द्विवेदी पुत्री श्री रज्जन लाल द्विवेदी, छात्रा एलएल0बी0 पाठ्यक्रम, सत्र 2010-13, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, बिठूर, कानपुर के प्रकरण पर विचार :-

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि छात्रा कु0 नमिता द्विवेदी पुत्री श्री रज्जन लाल द्विवेदी, एलएल0बी0 पाठ्यक्रम-षष्ठम् सेमेस्टर ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 17.05.2017 के माध्यम से अवगत कराया है कि सत्र 2010-13 में शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, बिठूर, कानपुर में प्रवेश प्राप्त किया था तथा कतिपय कारणों से पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमेस्टर (षष्ठम् सेमेस्टर) की परीक्षा वर्ष-2016 में सम्मिलित हुई। परन्तु पंचम् सेमेस्टर के प्रथम प्रश्नपत्र ज्यूरिशप्रूडेन्स (Jurisprudence) में अनुत्तीर्ण होने के कारण पाठ्यक्रम का परीक्षाफल अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। प्राथिनी ने सम्बंधित प्रश्नपत्र की बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुरोध किया है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि याचिका संख्या-26351/2017 दिनांक 06.06.2017 पर माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण को 06 सप्ताह में निर्णय लेने हेतु आदेश प्रदान किए हैं।

उक्त प्रकरण, विश्वविद्यालय अध्यादेश के अवलोकनोपरान्त परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विधि पाठ्यक्रम के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा एलएल0बी0 षष्ठम् सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण हो, को पूर्ववती सेमेस्टर के किसी एक प्रश्नपत्र में बैकपेपर में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाय।

कार्यवाही-उपकुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा/सेमेस्टर अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर
अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

1. दिनांक 13.10.2017 की परीक्षा समिति की बैठक के उपरान्त विश्वविद्यालय में शोध प्रबन्धों के मूल्यांकन एवं मौखिकी के उपरान्त 50 शोधार्थियों को पी-एच0डी0 की उपाधि से अलंकृत किये जाने की संस्तुति कार्यपरिषद से किए जाने पर विचार :-

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.10.2017 के उपरान्त शोध प्रबन्धों के मूल्यांकन व मौखिकी के उपरान्त कुल 50 शोधार्थियों को पी-एच0डी0 उपाधि के योग्य पाए जाने पर उन्हें पी-एच0डी0 उपाधि से अलंकृत किए जाने की संस्तुति परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से कार्यपरिषद से की। साथ ही शोधार्थी पुनीत कुमार त्रिवेदी, भूगोल विषय में पी-एच0डी0 के शोध प्रबन्ध में मूल्यांकनोपरान्त परीक्षकों द्वारा उपयुक्त न पाये जाने के कारण निरस्त किया गया, जिसकी संस्तुति परीक्षा समिति ने कार्यपरिषद से की।

2. दिनांक 17.10.2017 को सम्पन्न होने वाले 32वें दीक्षान्त समारोह में वर्ष-2017 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं को पदक प्रदान किए जाने से की संस्तुति कार्यपरिषद से किए जाने पर विचार :-

परीक्षा समिति ने दिनांक 17.10.2017 को सम्पन्न होने वाले 32वें दीक्षान्त समारोह में वर्ष-2017 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता कुल 77 छात्र/छात्राओं को पदक प्रदान किए जाने की संस्तुति परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से कार्यपरिषद से की।

3. अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित सेमेस्टर/मेडिकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं के प्रकरण पर विचार :—

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक परीक्षाओं के उपरान्त सेमेस्टर/मेडिकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं सम्पन्न करायी गई हैं, किंतु प्रय छात्र/छात्राओं को अनुचित साधन प्रयोग की श्रेणी में आरोपित किया गया है।

प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में व्यक्तिगत एवं सामूहिक नकल में आरोपित छात्रों के सम्बंध में जिस आधार पर निर्णय लिया गया है, उसी आधार पर आगामी अन्य परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।

कार्यवाही—उपकुलसचिव (य०एफ०एम०)/सिस्टम मैनेजर

4. छात्र मो० राशिद द्वारा बी०एससी० एवं यूनानी भैषज्य कल्पक की उपाधि एक की सत्र में पूर्ण करने के कारण बी०एससी० की अंकतालिका/उपाधि निरस्त करने पर विचार :—

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि छात्र मो० राशिद ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा बी०एससी० भाग-3, अनुक्रमांक-3047548, की संस्थागत परीक्षा वर्ष-2016 में दिव्य कृपाल महाविद्यालय, गौसवां, मल्लावां, हरदोई से उत्तीर्ण की है तथा वर्ष-2016 में संस्थागत छात्र के रूप में उसके द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद्, देहरादून, उत्तराखण्ड से यूनानी भैषज्य कल्पक (Pharmacist) की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की गई हैं। छात्र द्वारा यह आवेदित किया गया है कि अज्ञानतावशं एक ही वर्ष में उपर्युक्त परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ तथा उसके द्वारा बी०एससी० तृतीय वर्ष की परीक्षा वर्ष-2016 में उत्तीर्ण कर ली गई है। लागू नियमों के विपरीत होने के आधार पर उसकी बी०एससी० की अंकतालिका/उपाधि निरस्त कर दी जाय।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर छात्र मो० राशिद की बी०एससी० वर्ष-2016 की अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करने हेतु कार्य परिषद की स्वीकृति हेतु संस्तुति करती है साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि छात्र से अंकपत्र एवं उपाधि (यदि प्रदत्त की गई हो) की मूलप्रतियां अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

कार्यवाही—उपकुलसचिव (परीक्षा)

अन्त में मा० कुलपति जी ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

Waisel
13/10/17

(प्रो० ज०वी० वैशम्पायन)
कुलपति

Umaanath
13.10.17

(उमानाथ)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा
समिति